जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नांगल **दिनांक - 19.10.2024**

थाना नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 156/2024 धारा 109/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

सक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.10.2024 को वादिया श्रीमति जन्नती पत्नी शमशाद निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर ने थाना नांगल पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.इरफान पुत्र अब्दुल हमीद 2. मौ0 आरिफ पुत्र इरफान 3.गुल मौहम्मद पुत्र मंजूर अहमद 4.गुलफाम पुत्र मंजूर अहमद समस्त निवासीगण ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादिया व उसके पति के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डंडो व सरिये से वार किये गये, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 156/2024 धारा 109/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गुल मौहम्मद पुत्र मंजूर अहमद निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त सरिया सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुल मौहम्मद पुत्र मंजूर अहमद निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
2. का0 650 सचिन कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
3. का0 91 प्रवीण देशवाल थाना नांगल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना शेरकोट **दिनांक - 19.10.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 182/2024 धारा 69/351(2) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

सक्षिंप्त विवरण –

दिनांक 25.09.2024 को वादिया ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त लखविन्दर उर्फ लक्की पुत्र पालचन्द नि0 जोधेवाल बस्ती थाना जोधेवाल बस्ती जनपद लुधियाना (पंजाब) ने वादिया को शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया वादिया द्वारा मना करने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी तथा वादिया के साथ जबरन गलत कार्य किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो वादिनी के रिश्तेदारो व सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए तथा 05 लाख रुपये की मांग की । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 182/2024 धारा 69/351(2) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना शेरकोट पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लखविन्दर शर्मा उर्फ लक्की पुत्र पालचन्द नि0 जोधेवाल बस्ती थाना जोधेवाल बस्ती जनपद लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लखविन्दर उर्फ लक्की पुत्र पालचन्द नि0 जोधेवाल बस्ती थाना जोधेवाल बस्ती जनपद लुधियाना (पंजाब)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.निरीक्षक शर्मिला शर्मा क्षेत्राधिकारी अफजलगढ कार्यालय जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3. हे0का0 643 विजयपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 19.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 06.02.2013 को अभियुक्तगण बेबी पुत्र नुहारी सिंह निवासी गौहावर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर आदि द्वारा लूट आदि समाज विरोधी क्रियाकलाप करके अवैध धन अर्जित करके जनता में भय व आतंक व्याप्त करने के सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 49/13 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गई एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश / गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नं0–06, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बेबी पुत्र नुहारी सिंह निवासी गौहावर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

बेबी पुत्र नुहारी सिंह निवासी गौहावर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 19.10.2024**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गोवध के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 3,00,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 12.09.2020 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण रफीक कुरैशी उर्फ गनी पुत्र रईस निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गौवंशीय मांस/अवशेष एवं पशु कटान के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बंध में थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 180/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम रफीक आदि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 19.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोग के आरोपी अभियुक्त रफीक कुरैशी उर्फ गनी पुत्र रईस निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 3,00,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

रफीक कुरैशी उर्फ गनी पुत्र रईस निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात दिनांक - 19.10.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की 03 साइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.10.2024 को वादी श्री बहादुर पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व अन्य दो लोगो की कुल 03 साइकिल चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रईस उर्फ अल्ला भाई पुत्र असगर अली निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही-

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रईस उर्फ अल्ला भाई पुत्र असगर अली निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई 03 साईकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रईस उर्फ अल्ला भाई पुत्र असगर अली निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

चोरी की 03 साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना नगीन देहात बिजनौर।

2.है0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीन देहात बिजनौर।

3.का0 269 लवलेश कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर **दिनांक 19.10.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 971/24 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.10.2024 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम गोकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 971/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम गोकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम गोकलपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 971/2024 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 थाना को0 शहर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 390/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर
3. मु0अ0सं0 868/2022 धारा 147/148/323/325/504/506 भादवि थाना को0 शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 19.10.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने नकबजनी/चोरी की 10 घटनाओं का अनावरण करते हुए 08 अभियुक्तों को चोरी किये गये पीली/सफेद धातु के आभूषण, नगदी आदि एवं घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 18.10.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने 08 अभियुक्तगण 1.शांतनु पुत्र जगदेव निवासी ग्राम मुस्तफापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 2.रवि पुत्र फल्यू निवासी मौ0 खत्रीयान निकट रामलीला मैदान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.मोहित पुत्र सुमेर निवासी ग्राम रुजुपुरा मंजु थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर 4.विशाल पुत्र निरंजन निवासी ग्राम मदनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 5.अफजाल पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 अनसारीयान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 6.फिरोज पुत्र मुस्तकीम निवासी मौ0 अंनसारीयान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 7.संतोष पुत्र सदाशिव निवासी डवलेशवर थाना वीटा जनपद सांगला महाराष्ट्र हाल निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 8.मोहित पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम भूडपुर नैनसिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 26,530 /- रुपये, पीली धातु का एक कटा हुआ टुकडा, पीली धातु के 10 टॉप्स (कुंडल), सफेद धातु के 34 बिछुए, सफेद धातु की 14 पायल, पीली धातु की 01 चैन, सफेद धातु की 08 अंगूठी, एक कपडे के थैले मे 02 साडी 03 टी- शर्ट 02 शर्ट आदि, एक चमडे के हैण्ड बैग मे कुछ कागजात, 02 दस्तबंद, सफेद धातु का 01 गले का पैंडिल, एक थैले मे स्टील के बर्तन (04 गिलास 04 चम्मच व 02 प्लेट) तथा घटना मे प्रयुक्त 01 ऑल्टो गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20BL3866 बरामद की गयी।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्तगण शान्तनु, रवि, मोहित, विशाल ने बताया कि ये जो कपडे का थैला जिसमे कपडे मिले है तथा चमड़े का हैण्ड बैग जिसमे से ये कागज मिले है और 2100 /- रूपये कल रात हम चारों ने मिलकर ग्राम रावटी में गांव के बाहर बने एक मकान से चोरी किये थे व रूमाल की पोटली से जो ये 04 बिछुए, पीली धातु की 01 चैन मिली है ये हम चारों ने मिलकर ग्राम सिकरौंधा से आज से करीब 10-12 दिन पहले एक घर मे से चोरी किये थे तथा उस घर में से हमने 02 कंगन भी चुराये ये जिसको हमने मोहित को दिया था। मोहित ने वे कंगन सोना गलाने वाले सन्तोष को दिये थे। वो सोना फिर फिरोज ने खरीदा था। मोहित उपरोक्त अफजाल सुनार की दुकान पर काम करता है। जेवरात की इस खरीद फरोख्त में अफजाल भी शामिल रहता है। गले हुए सोने का टुकड़ा फिरोज के पास था व हमारे द्वारा गलाने के लिए दिये गये 04 बिछुए सन्तोष के पास है व कानों के 04 कुन्डल हमने अफजाल सुनार को बेचे है व 02 पायल चाँदी की हमने गलाने के लिए मोहित को दे रखी थी। इसके अलावा हम चारों ने मिलकर करीब चार महीने पहले ग्राम सैलपुरा बमनौला थाना क्षेत्र नूरपुर में एक रात में तीन घरो में चोरी की थी जिसमे तीनों घरो में से हमने 08 बिछुए, 02 दस्तबंद 08 पायल व 03 अंगूठी सफेद धातु की चोरी की थी व कुछ रूपये भी चोरी किये थे। आज से करीब 17 दिन पहले हमने ग्राम कुण्डा खुर्द थाना क्षेत्र नूरपुर में 02 घरों में कुम्बल लगा कर चोरी की थी जिसमे हमे पहले घर में 04 पायल 04 बिछुए 02 अगूठी व कुछ रूपये चोरी किये थे तथा दूसरे घर से 01 गले का पैंडिल 02 पायल व कुछ रुपये चोरी किये थे। अभियुक्त रवि ने बताया कि आज से करीब बीस दिन पहले मैने और मेरे साथी मोहित और शान्तनु हम तीनों ने थाना हल्दौर क्षेत्र के ग्राम अखलासपुर के पास रेत बजरी के धर्मकांटे की दुकान के अन्दर रखे गल्ले के लॉक को पेंचकस से तोड़कर 50,000 रुपये चुरा लिये थे जो हम तीनो ने आपस में बांट लिये थे जिनमें से हमारे पास 17,430 /- रूपये बचे है। आज से दो दिन पहले हम चारों ने मिलकर थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम इस्माईलपुर में से एक घर में से 02 पीले रंग के टोप्स व 02 बिछुए सफेद धातु के व कुछ रूपये चुराये थे। जिनमें से 5,000 रूपये बचे है। रवि उपरोक्त ने बताया कि आज से करीब चार महीने पहले मैने और मेरे साथी विक्की निवासी भागूवाला ने मिलकर थाना स्योहारा क्षेत्र के ग्राम गैंडाजूड में एक घर में से कुछ रूपये व एक अपाचे मोटर साईकिल चोरी की थी उनमे से मेरे पास 2000 रूपये बचे है तथा मोटरसाईकिल विक्की के पास है। आज से करीब डेढ महीना पहले ग्राम पिलाना में एक घर में से कुछ बर्तन चोरी किये थे। इसके अलावा हम चारो ने मिलकर ग्राम रोनिया से लगभग 10 दिन पहले एक घर में से कुछ इलैक्ट्रोनिक सामान व कुछ रूपये तथा कुछ गहने चुराये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शांतनु पुत्र जगदेव निवासी मुस्तफापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.रवि पुत्र पप्पू निवासी मौ0 खत्रियान निकट रामलीला मैदान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.मोहित पुत्र सुमैर सिंह निवासी रजुपुरा मन्जू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.विशाल पुत्र नरेन्द्र निवासी मदनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5.मोहित पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम भूडपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6.संतोष पुत्र सदाशिव निवासी डवलेशवर थाना वीटा जनपद सांगला महाराष्ट्र हाल निवासी मौ0 चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7.फिरोज पुत्र मुस्तकीम निवासी मौ0 अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
8.अफजाल सुनार पुत्र अय्यूब निवासी मौ0 अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किये गये 26,530 /- रुपये
पीली धातु का एक कटा हुआ टुकडा, पीली धातु के 10 टॉप्स (कुंडल), सफेद धातु के 34 बिछुए, सफेद धातु की 14 पायल, पीली धातु की 01 चैन, सफेद धातु की 08 अंगूठी, एक कपडे के थैले मे 02 साडी 03 टी- शर्ट 02 शर्ट आदि, एक चमडे के हैण्ड बैग मे कुछ कागजात, 02 दस्तबंद, सफेद धातु का 01 गले का पैंडिल, एक थैले मे स्टील के बर्तन (04 गिलास 04 चम्मच व 02 प्लेट)
घटना मे प्रयुक्त 01 ऑल्टो गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर UP20BL3866

अनावरित अभियोगों का विवरण –

1.मु0अ0सं0 149/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 153/2024 धारा 305/331(3)/317(2) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 159/2024 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 160/2024 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 281/24 धारा 305A/317(2) बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 304/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 560/24 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 238/2024 धारा 380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 239/2024 धारा 380/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
10.मु0अ0सं0 286/2024 धारा 305A/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त रवि का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 1203/17 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 651/20 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 656/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 115/21 धारा 379/411 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 181/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 335/22 धारा 380/411/414 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 282/23 धारा 379/411 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

अभियुक्त फिरोज का पूर्व का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 418/2023 धारा 120बी/406/420 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्र0नि0 श्रीमति पुष्पा देवी थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
2.उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
3.उ0नि0 श्री हिमाँशु गोस्वामी थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
4.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
5.उ0नि0 श्री जगत सिंह थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
6.कां0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
7.कां0 2571 सुमित कादियान थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
8.कां0 1960 शिवशंकर थाना हीमपुर दीपा बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 19.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 354/24 धारा 376/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त

दिनांक 21.07.2024 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोहित चौहान पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम मौरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा शादी का झांसा देकर वादिया के साथ गलत कार्य किया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 354/24 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित मोहित चौहान पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम मौरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित चौहान पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम मौरना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्र0नि0 धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2.उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.का0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4.का0 53 धर्मराज थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।